राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू–अभिलेख अधिकारी, धोरीमन्ना (जिला बाड़मेर) राजस्थान

पीठासीन अधिकारी :– श्री लाखाराम, आर.ए.एस.
आवेदन संख्या :– 32 / 2023

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थीगण
1. बाबूलाल पुत्र श्रीराम जाति विश्नोई निवासी गडरा तहसील धोरीमन्ना		1. किसनाराम पुत्र भगवानाराम 2. पूनमाराम पुत्र भगवानाराम 3. गंगाराम पुत्र कानाराम 4. बाबूलाल पुत्र गंगाराम 5. हरिकिशन पुत्र गंगाराम 6. केशरीमल पुत्र करनाराम 7. पूनमाराम पुत्र करनाराम 8. सुखराम पुत्र करनाराम 9. कुनणी देवी पत्नी हरदास 10. जगदीश पुत्र हरदास 11. जयकिशन पुत्र हरजीराम 12. पूनमाराम पुत्र हरदास 13. पाबुराम पुत्र हरजीराम 14. विरधाराम पुत्र हरजीराम 15. सुजाणा पुत्र बन्शीराम जाति विश्नोई निवासी गडरा (नेडीनाडी) तहसील धोरीमन्ना 16. तहसीलदार, धोरीमन्ना

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम वास्ते नेखमबन्दी

तारीख रजू :– 16/02/2023

अधिवक्तागण :– 1. श्री जगदीश कुमार, अधिवक्ता प्रार्थीगण

– : : निर्णय : : –

दिनांक :– 20/12/2023

प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री जगदीश कुमार द्वारा एक राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी के खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 3/3 रकबा 2.0396 हैक्टेयर किस्म बा.सोयम मौजा गडरा पटवार मण्डल नेडीनाडी तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर में अवस्थित है, जिस पर प्रार्थी का कब्जाकाश्त लगातार निर्बाध रूप से चला आ रहा है। नकल जमाबन्दी व नक्शा संलग्न है। प्रार्थी की उपरेक्त भूमि के सेढ़ा–सेढ़ ही विप्रार्थीगण की भूमि आई हुई है। प्रार्थी एवं विप्रार्थीगण के बीच में किसी प्रकार की कोई पक्की माठें या सीमा चिह्न नहीं होने के कारण प्रार्थी एवं विप्रार्थीगण के मध्य काश्त एवं प्राकृतिक पैदावार सम्बन्धी खेतों के सेढ़ों के लेकर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dhirendra Singh
Date: 2024.06.12 16:28:36 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी धोरीमन्ना ★ जिला-बाड़मेर ★

20/12/23
सहायक कलक्टर (SDO) धोरीमन्ना

पास में तनाजा एवं विवाद बना रहता है। काश्त के समय विप्रार्थीगण प्रार्थी की उपरोक्त खातेदारी की भूमि में हस्तक्षेप कर प्रार्थी की भूमि पर जबरन काश्त कर लेते है तथा काश्त के समय लडाई फंसाद होने की आशंका रहती है तथा प्रार्थी अपनी भूमि का सही समय पर उपयोग नही कर पा रहे है, इसलिए प्रार्थी हमेशा के लिए भूमि के सेढ़ों के विवाद से बचने के लिए अपनी उपरोक्त भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाना चाहते है। प्रार्थी ने अपनी उपरोक्त भूमि का सीमाज्ञान दिनांक 15.02.2023 को करवाया गया था परन्तु मौके पर विवाद होने के कारण सीमाज्ञान को विप्रार्थीगण नही मान रहें है, जिस पर तहसीलदार धोरीमन्ना ने श्रीमान् के समक्ष नेखमबन्दी का आवेदन प्रस्तुत करने का सुझाव दिया, जिस पर नेखमबन्दी का यह आवेदन श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रार्थी नेखमबन्दी सम्बन्धी मौके पर नेखम सामग्री उपलब्ध एवं नेखमबन्दी सम्बन्धी फीस अदा करने को तैयार है। विवादित खेत मौजा गडरा पटवार मण्डल नेड़ीनाडी तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर में स्थित होने के कारण यह नेखमबन्दी का आवेदन श्रीमान् के न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का है। राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 का होने के कारण इस पर मुकरर न्याय शुल्क मुद्रांक 2/- के साथ पेश है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया एवं विप्रार्थीगण 01 से 16 को जरिये रजिस्ट्रेड डाक से नोटिस भिजवाए गए, भिजवाऐ गये नोटिसों की डाक रसीदें प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा पेश की, विप्रार्थीगण को नोटिस भेजे गए एक माह से ज्यादा समय होने के कारण दिनांक 11.10.2023 को विप्रार्थीगण के हाजा न्यायालय में अनुपस्थित रहने के कारण इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्रवाई के आदेश दिए गए।

हमने अधिवक्ता प्रार्थी की बहस को विस्तारपूर्वक सुना तथा प्रार्थना पत्र तथा पत्रावली के साथ संलग्न समस्त दस्तावेजात का भली-भांति अध्ययन एवं अवलोकन किया। अध्ययन से स्पष्ट है कि प्रार्थी विवादित आराजी खसरा नम्बर 3/3 रकबा 2.0396 हैक्टेयर किस्म बा.सोयम की खातेदार दर्ज राजस्व रेकर्ड है। पत्रावली के अध्ययन से स्पष्ट है कि दिनांक 15.02.2023 को पटवारी हल्का द्वारा खसरा संख्या 3/3 के सीमाज्ञान हेतु प्रयास [illegible] खातेदारान द्वारा सीमाज्ञान की कार्रवाई के दौरान सीमाज्ञान करने से [illegible] कर[illegible]या गया, प्रार्थी द्वारा शपथ पत्र के माध्यम से अपने प्रार्थना [illegible] कि प्रार्थी एवं विप्रार्थीगण के खेत आसपास स्थित है तथा खेतों के बीच [illegible]ी प्रकार के सीमा चिह्न/पक्की पाटें नहीं होने के कारण सीमा सम्बन्धी विवाद होते रहते है। उपर्युक्त विवेचन के आलोक से हमारा यह विनम्र अभिमत है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 3/3

Signature Not Verified
Digitally signed by Dhirendra Singh
Date: 2024.06.12 16:28:36 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी धोरीमन्ना जिला-बाड़मेर

20/12/23

सहायक कलक्टर (SDO) धोरीमन्ना

रकबा 2.0396 हैक्टेयर किस्म बा.सोयम की हद तक हस्तगत प्रार्थना पत्र को स्वीकार करना हम उचित एवं विधिसंगत समझते हैं।

— : : आदेश : : —

अतः उपर्युक्त निष्कर्ष के आलोक में प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 भली–भांती साबित होने एवं सारवान होने से स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार धोरीमन्ना को निर्देश दिये जाते हैं कि वह प्रार्थी की खातेदारी आराजी राजस्व ग्राम गडरा पटवार मण्डल नेडीनाडी तहसील धोरीमन्ना में जमाबन्दी संवत् 2071–2074 के खाता संख्या 23 के खसरा संख्या 3/3 रकबा 2.0396 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम का राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 111 में वर्णित विहीत प्रकिया का अनुपालन करते हुए सीमाज्ञान कर सीमा विवाद का निस्तारण करें, प्रार्थी के हर्जे–खर्चे से उसके खसरा नम्बर 3/3 रकबा 2.0396 हैक्टेयर किस्म बा.सोयम के पड़ौसी खातेदारों की आराजी के मध्य सीमा–विभाजक रोपित करावें। उभयपक्षकारान को पाबंद किया जाता है कि वक्त कार्यवाही मौके पर उपस्थित रहें। तहसीलदार धोरीमन्ना को पालनार्थ तहरीर जारी हो। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से कम होते हुए दाखिल दफ्तर हो।

20/12/23

(लाखाराम) R.A.S
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन भू–अभिलेख अधिकारी,
धोरीमन्ना

उपखण्ड अधिकारी धोरीमन्ना ★ जिला-बाड़मेर ★

निर्णय आज दिनांक 20/12/2023 को सरे ईजलास सुनाया गया।

20/12/23

(लाखाराम) R.A.S
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन भू–अभिलेख अधिकारी,
धोरीमन्ना

Signature Not Verified

Digitally signed by Dhirendra Singh
Date: 2024.06.12 16:28:36 IST
Reason: SelfAttested